10956
31/10/17

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़े :–

1. आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का पत्रांक–06/गो0, दिनांक 15.01.2016
2. समाहरणालय, गढ़वा का आदेश ज्ञापांक–07/गो0, दिनांक 05.01.2016
3. राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड का पत्रांक–1176, दिनांक 13.06.2016
4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–9755, दिनांक 18.11.2016, संकल्प सं0–856, दिनांक 02.02.2016 एवं संकल्प सं0–1899, दिनांक 03.03.2017

श्री श्रीराम तिवारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–477/03, गृह जिला–भोजपुर) के उप विकास आयुक्त, गढ़वा के पद पर कार्यावधि में आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का पत्रांक–06/गो0, दिनांक 15.01.2016 द्वारा झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के गढ़वा जिला परिभ्रमण के क्रम में समिति के प्रति समुचित सौजन्यता प्रकट नहीं किये जाने से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

समाहरणालय, गढ़वा के आदेश ज्ञापांक–07/गो0, दिनांक 05.01.2016 द्वारा झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के दिनांक 09.01.2016 से 10.01.2016 तक गढ़वा जिला के भ्रमण कार्यक्रम का सम्पूर्ण वरीय प्रभार उप विकास आयुक्त, गढ़वा को सौंपा गया था। साथ ही, उप विकास आयुक्त, गढ़वा को निदेश दिया गया था कि झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के माननीय सभापति सहित माननीय सदस्य के गढ़वा जिला आगमन एवं समिति द्वारा निर्धारित बैठक तथा स्थल निरीक्षण के समय समिति के निदेशानुसार संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक प्रतिवेदन सहित उपस्थित रहने हेतु सूचित करेंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें माननीय सभापति महोदय एवं सदस्यों के निदेशानुसार स्थल भ्रमण की व्यवस्था करने एवं आवश्यक सूचना/प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया था।

आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का पत्रांक–06/गो0, दिनांक 15.01.2016 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के गढ़वा परिसदन में आवासन के दौरान परिसदन में घोर अव्यवस्था व्याप्त थी, यथा दिनांक 09.01.2016 की रात्रि में परिसदन के किसी भी नल में पानी नहीं आना, कम्बल की समुचित व्यवस्था नहीं होना, किसी जिम्मेदार पदाधिकारी का परिसदन में उपस्थित नहीं होना। साथ ही, समिति के सदस्यों द्वारा उप विकास आयुक्त, गढ़वा को अनेक बार फोन लगाने के बावजूद उनके द्वारा फोन रिसिव नहीं किया गया।

आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया है कि श्री श्रीराम तिवारी, उप विकास आयुक्त, गढ़वा झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के गढ़वा परिसदन में आवासन के दौरान व्याप्त अव्यवस्था के लिए दोषी हैं। इनके द्वारा कर्त्तव्य के निर्वहन में लापरवाही संबंधी आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं0–856, दिनांक 02.02.2016 द्वारा निन्दन की सजा दी गई।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री तिवारी द्वारा माननीय राज्यपाल के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक–1176, दिनांक 13.06.2016 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ।

विभागीय पत्रांक–9755, दिनांक 18.11.2016 द्वारा इनके अपील अभ्यावेदन पर अंतिम निर्णय के पूर्व इनका पक्ष प्राप्त किया गया, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा दिनांक 06.12.2016 को समर्पित पत्र द्वारा अपना पक्ष रखा गया।

इनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन एवं इनके द्वारा रखे गये पक्ष पर समीक्षा किया गया। समीक्षा में पाया गया कि श्री तिवारी द्वारा स्वीकार किया गया है कि वे पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु वरीय प्रभार में थे किन्तु इनके कनीय पदाधिकारी द्वारा घटना/अव्यवस्था को लेकर सूचित नहीं किया एवं वे स्वयं भ्रमित रहे और अच्छी व्यवस्था के प्रति आश्वस्त रहे। इनके द्वारा अव्यवस्था हेतु कनीय पदाधिकारियों को दोषी ठहराया गया है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। वरीय प्रभार में रहने के कारण इनकी जवाबदेही थी कि संबंधित कनीय पदाधिकारियों को सौंपे गये कार्य का क्रियान्वयन कराते। अतः समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0–1899, दिनांक 03.03.2017 द्वारा इनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री तिवारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में वाद सं0– W.P.(S) No. 2127/2017 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2017 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प सं0–856, दिनांक 02.02.2016 एवं संकल्प सं0–1899, दिनांक 03.03.2017 को निरस्त कर दिया गया है।

अतः समीक्षोपरांत माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा दिनांक 05.09.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–856, दिनांक 02.02.2016 एवं संकल्प सं0–1899, दिनांक 03.03.2017 को निरस्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री श्रीराम तिवारी, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

31.10.17

(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–6/2016 का०– 10956/राँची, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर/उपायुक्त, गढ़वा/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री श्रीराम तिवारी, संयुक्त सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा–6 (चारित्री कोषांग)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.10.17

सरकार के संयुक्त सचिव।

20